निग/3062/पीII/15

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2015 निगरानी

श्री आर० एस० सेंगर अभि०
द्वारा आज दि. 9-9-15 को
प्रस्तुत
9-9-15

R.S.Sengar
आर० एस० सेंगर एड०
9-9-15

उमेश कुमार शर्मा पुत्र श्री इमरत लाल शर्मा
निवासी सतई रोड , छतरपुर जिला छतरपुर
म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. म.प्र. शासन
2. रामप्यारे पुत्र गनपत
   निवासी – नरसिंह गढ पुरवा तहसील व
   जिला छतरपुर म.प्र.

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय तहसीलदार तहसील छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 05/अ–3/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2009 प्रतिवेदन दिनांक 4.6.2009 पंचनामा दिनांक 2.6.09 के विरूद्व निगरानी ।

महोदय,

आवेदक की आर से निगरानी निम्न तथ्यो एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक क्रमांक 2 के पिता गनपत पुत्र हल्का द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के समक्ष मौजा बगौता स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 1823/ 102 सर्वे नं. 1823/ 116 कुल रकवा 0.979 हजेक्टर का सीमाकंन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया सीमान्त कृषकों को सूचना दी जाकर पंचनामा तैयार कर सीमाकंन की कार्यवाही सम्पन्न की जाकर दिनांक 23.07.2009 को विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–3062 / दो / 15 जिला–छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश उमेश कुमार शर्मा / म0प्र0शासन,रामप्यारे	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-12-2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री आर.एस. सेंगर, उपस्थित । शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता श्री बी.एन. त्यागी उपस्थित उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । 2– यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के प्र0कमांक–05 / अ–3 / 08–09 में पारित आदेश दिनांक– 23.7.09 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है । 3– आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप वही तर्क प्रस्तुत किए गये, जो निगरानी मेमो में अंकित है, जिन्हें यहां पुनरांकित न किया जाकर उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के आधार पर आक्षेपित आदेश दिनांक–23.7.09 को निरस्त कर पुनः सीमांकन किए जाने हेतु तहसीलदार को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का निवेदन किया गया है । निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के संबंध में मेरे द्वारा प्रकरण के संलग्न आवेदक की ओर से प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया एवं निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित किया गया है, कि उसके द्वारा भूमि कमांक– 1823 / 116 रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक–3.6.2014 के माध्यम से कय की गयी है, जिसकी चौहदी के अनुसार मौके पर भूमि नहीं मिली तब सीमांकन हेतु पटवारी से आवेदन के साथ मिला पटवारी द्वारा बताया गया कि पहले सीमांकन हो चुका है, जो गलत है जब तक पुराना सीमांकन निरस्त नहीं होगा, तब तक दुबारा सीमांकन नहीं किया जा सकता है । निगरानी मेमों में यह भी अंकित किया गया है कि सीमांकन के साथ नक्शा तरमीम की कार्यवाही की गयी है, वह भी गलत है । मौके की स्थिति के अनुसार नक्शा तरमीम नहीं किया गया है । उक्त तथ्यों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह पाया गया, कि तसहीलदार द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक–23.7.09 जारी करने से पहले हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, बल्कि यह लिखते हुए, कि कोई आपत्ति नहीं आई राजस्व निरीक्षक की ओर से प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन एवं नक्शा तरमीम प्रस्ताव स्वीकृत किया जाता है । प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य विशेष रूप से परिलक्षित हो	1

R.3062/11/15

उमेश / रामप्यारे, म०प्र०शासन

छतरपुर

रहा है, कि प्रकरण में कहीं भी इस्तहार का प्रकाशन होना नहीं पाया गया और न ही सीमांकन एवं नक्शा तरमीम प्रस्ताव को स्वीकृत करने से पहले हितवद्ध व्यक्तियों को एवं सरहदी कास्तकारों को सुने जाने की कोई कार्यवाही संलग्न अभिलेख में दर्शित है । वही प्रतिवेदन के अवलोकन से भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सीमांकन के समय सीमांकन हेतु किस सीमा चिन्ह को स्थयी सीमाचिन्ह मान कर सीमांकन किया गया है । प्रतिवेदन में मात्र यह लिखा गया गया है, कि आवेदित भूमि खसरा कमांक–1823/116 एवं 1823/102 का सीमांकन जरीव चलाकर चारों कोनों से किया गया । सूचना पत्र दिनांक–2.6.09 मात्र दो व्यक्तियों के नाम जारी किया गया है । जबकि सर्वे कमांक–1823 काफी बड़ा है जिसमें कई बटा नम्बर हैं, जो नक्शा तरमीम प्रस्ताव से स्पष्ट हो रहा है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा जारी सीमांकन एवं नक्शा तरमीम आदेश दिनांक–23.7.09 स्थिर रखे जाने योग्य न होने से निरस्त किया जाता है, तथा तहसीलदार को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है, कि वे विवादित सर्वे कमांक–1823 के समस्त हितधारी व्यक्तियों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में मौके की स्थिति के अनुसार अभिलेखीय आधार पर सीमांकन हेतु स्थायी बन्दोबस्ती सीमा चिन्ह ग्राम सीमा का मुनारा नहर, कुआ, सड़क आदि को आधार मान कर पुनः सीमांकन की कार्यवाही तीन माह में पूर्ण करें । पक्षकारों को भी यह निर्देशित किया जाता है, कि वे आदेश की संसूचना के एक माह के अंदर तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर उक्त कार्यवाही संपादित करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दा.रि.हो ।

1.12.15

सदस्य